प्रारंभिक परीक्षा

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह(Vizhinjam International Seaport)

संदर्भ

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के दिसंबर 2024 में चालू होने की उम्मीद है।

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में -

- **यह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो केरल के विझिंजम (तिरुवनंतपुरम के पास) में स्थित है।**
    - **डीपवाटर बंदरगाह**: मानव निर्मित संरचनाएं जिनका उपयोग तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन, भंडारण या संचालन के लिए बंदरगाहों या टर्मिनलों के रूप में किया जाता है।
    - **ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह**: यह एक पारगमन केंद्र है जहाँ कार्गो को अंतिम गंतव्य तक ले जाने के दौरान एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है।
- इसे **डिजाइन**, **निर्माण**, **वित्त**, **संचालन और हस्तांतरण** (**DBFOT) मॉडल** पर बनाया गया है।
    - **DBFOT** मॉडल एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल है जिसके तहत एक निजी भागीदार निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:
        - परियोजना का डिजाइन तैयार करना
        - परियोजना का निर्माण करना
        - परियोजना का वित्तपोषण करना
        - अनुबंधित अवधि के दौरान परियोजना का संचालन करना।
    - अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद **परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र को वापस हस्तांतरित करना।**
- **भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं:** चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), कोलकाता, मारमागाओ, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, वी. ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन), विशाखापत्तनम और कामराजार पोर्ट लिमिटेड।
    - **वधावन**, **पालघर जिला**, **महाराष्ट्र में प्रमुख बंदरगाह निर्माणाधीन है।**

यूपीएससी विगत वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: (2023)

1. कामराजर बंदरगाह	भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख बंदरगाह है|
2. मुंद्रा बंदरगाह	भारत में सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है|
3. विशाखापत्तनम बंदरगाह	भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है|

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल एक युग्म
(b) केवल दो युग्म
(c) सभी तीन युग्म
(d) कोई भी युग्म नहीं

उत्तर: B

- **भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह**: जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (न्हावासेवा), महाराष्ट्र

स्रोत:

- [द हिंदू - विझिनजाम बंदरगाह के शेष चरण 2028 तक पूरे हो जाएंगे]

श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा

संदर्भ

जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद (WCC) द्वारा 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद श्रीनगर में 3 दिवसीय शिल्प विनिमय पहल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसने लगभग 500 वर्षों के बाद कश्मीर और मध्य एशिया के कारीगरों को फिर से एकजुट किया।

शिल्प तकनीकों में समानताएँ

- **उज़्बेकिस्तान के सुज़ानी काम और कश्मीर की सोज़िनी कढ़ाई** में समान तकनीक, रंग और पुष्प रूपांकन हैं।
- कश्मीरी कालीन उद्योग ऊन और रेशमी कालीन बुनने के लिए फ़ारसी बफ़ और सेहना नॉट (गाँठ) जैसी **फ़ारसी तकनीकों** का उपयोग करता है।
- कश्मीरी कालीन पैटर्न का नाम **ईरानी शहरों जैसे काशान, किरमान, तबरीज़, इस्फ़हान और मेशेद** के नाम पर रखा गया है।

कश्मीरी शिल्पकला में ज़ैन-उल-अबिदीन का योगदान:

- **कश्मीर सल्तनत (15वीं शताब्दी) के 9वें सुल्तान ज़ैन-उल-अबिदीन ने** स्थानीय उद्योगों को विकसित करने के लिए समरकंद, बुखारा और फारस से कुशल कारीगरों को बुलाया।
- उन्होंने **लकड़ी की नक्काशी, कालीन बुनाई और कागज़ की लुगदी** (**papier-mâché**) जैसे शिल्प को बढ़ावा दिया।
- कार्यशालाओं की स्थापना की गई और कारीगरों को राज्य संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे शिल्प का विकास सुनिश्चित हुआ।

प्रमुख शिल्प तकनीकें

- **सोज़नी वर्क:** यह एक विस्तृत और जटिल सुईवर्क शैली है, जिसका उपयोग विशेष रूप से शॉल पर किया जाता है। इसमें ऊनी और रेशमी कपड़ों पर महीन धागे के साथ पुष्प और ज्यामितीय रूपांकनों का उपयोग किया जाता है।
- **लकड़ी की नक्काशी**: यह जटिल पैटर्न के लिए छेनी और हथौड़े का उपयोग करके अखरोट की लकड़ी पर किया जाता है।
- ज़ैन-उल-अबिदीन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई फ़ारसी तकनीकों से उत्पन्न हुआ।
- **सेहना नॉट (कालीन बुनाई):** एक फ़ारसी बुनाई विधि जिसमें धागा सघनता और एकरूपता के लिए ताना धागे (warp thread) के चारों ओर लपेटा जाता है। इसका उपयोग कश्मीरी कालीनों में किया जाता है।

विश्व शिल्प परिषद (WCC)

- **WCC एक गैर-लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।**
- इसकी स्थापना **1964** में हुई थी और इसका **मुख्यालय कुवैत** में है।
- इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शिल्प को बढ़ावा देना और शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- WCC दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को उजागर करने और उनका समर्थन करने के लिए कार्यक्रम, आदान-प्रदान और पुरस्कार आयोजित करता है।
- **भारत में विश्व शिल्प शहर: जयपुर**, **मलप्पुरम**, **मैसूर से श्रीनगर तक।**

स्रोत:

- द हिंदू - कश्मीरी, मध्य एशियाई कारीगर श्रीनगर में एक छत के नीचे फिर से जुड़े

नए पंबन ब्रिज के निर्माण में खामियां

संदर्भ

रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने नए पंबन ब्रिज की योजना और क्रियान्वयन में बड़ी खामी की ओर ध्यान दिलाया है। रेलवे बोर्ड ने इन मुद्दों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा पहचानी गई खामियां

- **लिफ्ट स्पैन गर्डर** को **RDSO** मानकों के बजाय **विदेशी कोड** का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया था।
- बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सलाहकार समूह बनाने की मानक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया।
- साइट पर **प्राइमरी स्ट्रेस्ड मेंबर्स (नीचे और ऊपर के कॉर्ड) की वेल्डिंग** हुई, जो **वेल्डेड ब्रिज कोड** (स्टील पुलों के निर्माण में धातु-आर्क वेल्डिंग के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों का सेट) का उल्लंघन था।

नए पंबन ब्रिज के बारे में -

- **यह भारत का पहला वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है।**
- यह पुल **2.05 किलोमीटर लंबा** है, जिसमें जहाज की आवाजाही के लिए **72 मीटर का अनोखा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन** है।
- यह पंबन द्वीप पर **रामेश्वरम को तमिलनाडु में मुख्य भूमि पर स्थित मंडपम** से जोड़ता है।
- यह भारत के **पहले समुद्री पुल, प्रतिष्ठित पंबन ब्रिज का स्थान लेगा, जिसे 1914 में खोला गया था।**
- नया पुल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया जा रहा है।

अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO)

- यह भारतीय रेलवे का एकमात्र अनुसंधान और विकास संगठन है जिसका मुख्यालय लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में है।
- **कवच/KAVACH प्रणाली RDSO द्वारा विकसित की गई थी।**
- **RDSO भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन (SDO) घोषित होने वाला पहला संस्थान था।**
- **कार्य**:
  - रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के लिए तकनीकी सलाहकार।
  - रेलवे उपकरणों के लिए नए और बेहतर डिजाइन विकसित करता है।
  - सामग्री और उत्पादों के लिए मानक विकसित करता है, और विक्रेताओं के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्देश प्रदान करता है।

स्रोत:

- द हिंदू - 'रेलवे बोर्ड ने नए पंबन पुल पर CRS रिपोर्ट की जांच के लिए समिति गठित की है'

सिंधुदुर्ग में भारत का पहला बड़े पैमाने पर समुद्री तल सफाई अभियान

संदर्भ

भारत ने समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग प्रवाल भित्तियों में अपना पहला बड़े पैमाने पर समुद्र तल सफाई अभियान शुरू किया।

समुद्री मलबे से प्रवालों को खतरा

- **प्रवालों को होने वाली भौतिक क्षति:** भूतिया जाल और अन्य मलबा प्रवाल संरचनाओं को उलझा सकता है, जिसके कारण वे जाल के भार या गति के कारण टूट सकते हैं।
- **सूर्य के प्रकाश का अवरोध:** प्लास्टिक का मलबा प्रवालों को मिलने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है, जो कि **सहजीवी शैवाल (जूक्सैन्थेला) द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है** , जिस पर प्रवाल ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं।
- **रासायनिक रिसाव:** प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री पानी में हानिकारक रसायन छोड़ती हैं, जो प्रवाल वृद्धि और प्रजनन को बाधित करती हैं।
- **रोगों का प्रसार:** मलबा रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रवाल विरंजन और ऊतक क्षति सिंड्रोम जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
- **जैव विविधता में कमी:** प्रवाल भित्तियों को होने वाली क्षति से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, जिससे विविध समुद्री जीवों के लिए उपलब्ध आवास कम हो जाते हैं।

प्रवाल(Corals) के बारे में -

- **प्रवाल छोटे, जेली जैसे जानवरों के कंकालों से बनी कैल्शियमयुक्त चट्टान जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें कोरल पॉलीप्स(coral polyps) कहा जाता है।**
- **इसे "समुद्र के वर्षावन"** के नाम से भी जाना जाता है - जो समस्त समुद्री जीवन के 25% से अधिक का निवास स्थान है।
- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I** के अंतर्गत सूचीबद्ध
- **भारत के प्रमुख प्रवाल क्षेत्र:** अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी, मालवन (महाराष्ट्र), नेत्रानी द्वीप (कर्नाटक)।
- **प्रवाल वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियाँ:**
    - **उष्णकटिबंधीय जल - 30°N और 30°S अक्षांशों** के बीच ।
    - **आदर्श गहराई:** समुद्र सतह से 45 मीटर से 55 मीटर नीचे, जहां प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो।
    - **तापमान:** लगभग 20°C
    - **लवणता का मध्यम से निम्न स्तर** (प्रति 1000 में 30-40 भाग) और **तलछट से मुक्त**

प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां

- **बायोरॉक प्रौद्योगिकी:** इसमें प्रवाल वृद्धि को बढ़ावा देने और मौजूदा प्रवाल भित्तियों को मजबूत करने के लिए विद्युत आवेशित संरचनाओं को तैनात करना शामिल है।
- **क्रायोमेश प्रौद्योगिकी:** इसमें प्रवाल को क्रायोजेनिक रूप से जमाकर भंडारित किया जाता है, जिसे बाद में पुनः जंगल में छोड़ा जा सकता है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: "बायोरॉक तकनीक" की बात निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है? (2022)

(a) क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना
(b) पौधों के अवशेषों का उपयोग करके निर्माण सामग्री का विकास
(c) शेल गैस की खोज/निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान
(d) वनों/संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए नमक की चाट उपलब्ध कराना

उत्तर: (**a**)

स्रोत:

- **टाइम्स ऑफ इंडिया - सिंधुदुर्ग रीफ से 250 किलोग्राम मलबा हटाया गया**

कैंसर और प्रतिरक्षा प्रणाली

संदर्भ

शिकागो में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए हालिया शोध में कैंसर से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से गंभीर संक्रमणों द्वारा सक्रिय सफेद रक्त कोशिकाओं की संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

कैंसर से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में - I-NCM

- **इन विशेष श्वेत रक्त कोशिकाओं को इंड्यूस्ड नॉन-क्लासिकल मोनोसाइट्स (I-NCM) कहा जाता है।**
- ये तब बनती हैं जब शरीर गंभीर संक्रमण से गुजरता है, जैसे कोविड-19 या कुछ रसायनों के संपर्क में आता है।
- एक बार बनने के बाद, ये कोशिकाएं रक्तप्रवाह को छोड़कर ट्यूमर तक पहुंच जाती हैं, जहां वे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं।
- **वे कैंसर का पता कैसे लगाती हैं?**
    - **I-NCM** में **CCR**2 नामक एक "सेंसर" होता है**,** जो एक एंटीना की तरह काम करता है। यह एंटीना कैंसर कोशिकाओं या सूजन वाले क्षेत्रों द्वारा भेजे गए संकेतों को पकड़ता है।
- इन संकेतों का पता लगाने के बाद, I-NCM ट्यूमर की ओर बढ़ती हैं और **प्राकृतिक किलर (NK) कोशिकाओं को बुलाकर बैकअप के लिए कॉल करती हैं**।
    - **NK कोशिकाएं** शक्तिशाली प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो कैंसर कोशिकाओं को सीधे नष्ट कर सकती हैं।

रोग-प्रतिरक्षाचिकित्सा या इम्यूनोथेरेपी(immunotherapy)

- **यह एक ऐसा उपचार है जो कैंसर, संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है।**
- **I-NCM की भूमिका:**
    - प्रयोग के दौरान चूहों में I-NCMs का इंजेक्शन लगाने से कैंसर **मेटास्टेसिस को सफलतापूर्वक कम किया गया।**
    - I-NCM एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए NK कोशिकाओं को ट्यूमर स्थल तक पहुंचाते हैं।
- **CAR-T सेल थेरेपी:**
    - इम्यूनोथेरेपी का एक और रूप जिसमें T कोशिकाओं को प्रयोगशाला में पुनः प्रोग्राम किया जाता है और रोगी में पुनः डाला जाता है। ये संशोधित T कोशिकाएँ सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं।

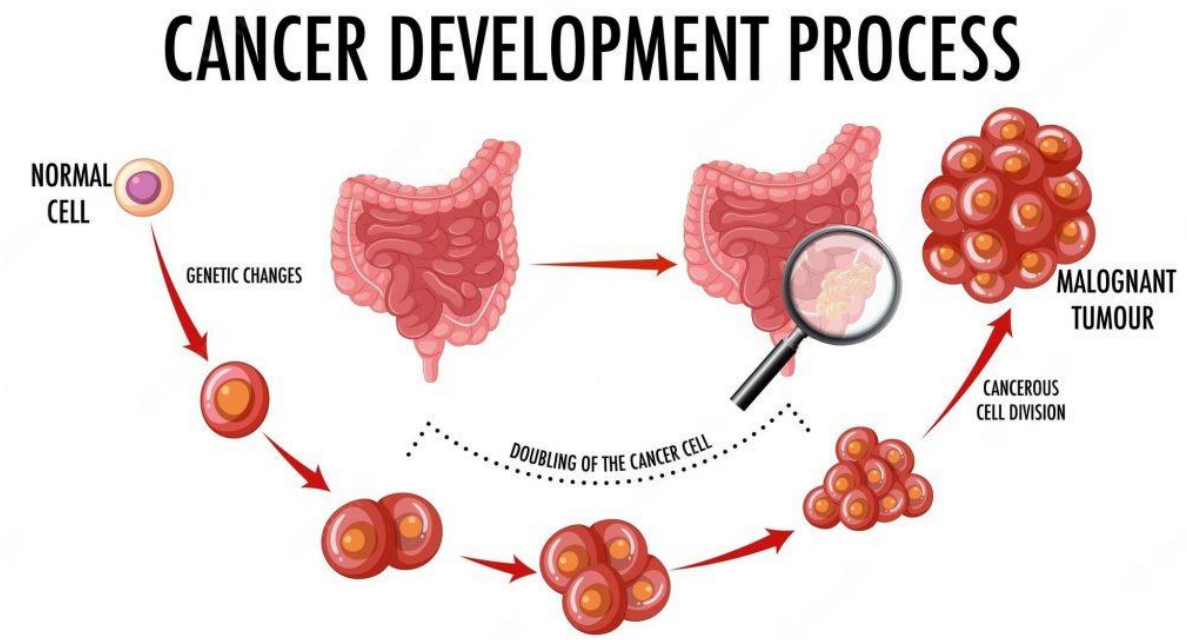

स्रोत:

- [द हिन्दू - कैंसर के विरुद्ध शरीर की सुरक्षा का उपयोग]

विकिपीडिया और ANI का मानहानि का मुकदमा

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिमीडिया को ANI के साथ चल रहे मानहानि मामले में शामिल तीन प्रशासकों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।

विकिपीडिया के बारे में -

- **यह एक समुदाय संचालित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी सामग्री स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित और संपादित की जाती है।**
- **संपादकीय प्रक्रिया:** कोई भी व्यक्ति लेखों को संपादित कर सकता है, बशर्ते संपादन विश्वसनीय और सत्यापन योग्य स्रोतों द्वारा समर्थित हो।
- **संरक्षण उपाय:** विवादास्पद विषयों पर पृष्ठों को तटस्थता बनाए रखने के लिए "विस्तारित पुष्ट संरक्षण" या "पूर्ण संरक्षण" के अंतर्गत रखा जा सकता है।
    - विस्तारित सुरक्षा संपादन को अनुभवी उपयोगकर्ताओं तक सीमित करती है, जबकि पूर्ण सुरक्षा संपादन को प्रशासकों तक सीमित करती है।
    - **प्रशासक:** प्रतिष्ठा के आधार पर सामुदायिक चुनावों द्वारा चुने जाते हैं।
- **विकिमीडिया फाउंडेशन**, जो अमेरिका में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है, विकिपीडिया पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। यह प्लेटफ़ॉर्म चलाने के लिए तकनीकी बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि संपादक तकनीकी बाधाओं के बिना योगदान कर सकें।
- ANI ने तर्क दिया कि विकिमीडिया ने **सेफ हार्बर प्रावधानों और आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लंघन किया है।**

भारत में सेफ हार्बर: कानूनी ढांचा

- **सेफ हार्बर संरक्षण:**
    - **यह एक कानूनी ढांचा है जो मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटप्लेस या होस्टिंग सेवाएं) को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है। उदाहरण के लिए विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक आदि।**
    - **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000** की **धारा 79** मध्यस्थों को **सेफ हार्बर** संरक्षण प्रदान करती है, यदि वे निम्नलिखित का पालन करते हैं:
        - **समुचित परिश्रम की आवश्यकताएँ:** नीतियों, उपयोगकर्ता समझौतों और मॉडरेशन तंत्र को नियमित रूप से अपडेट करना।
        - **समय पर कार्रवाई:** नोटिस या अदालती आदेश पर गैरकानूनी सामग्री को हटाना।
- **बहिष्करण:** जो प्लेटफ़ॉर्म इन दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, वे अपना **सेफ हार्बर** का दर्जा खो देते हैं। दर्जा खोने से उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सभी सामग्री के लिए कानूनी दायित्व हो सकता है।

स्रोत:

- [द हिंदू - विकिपीडिया और ANI का मानहानि का मुकदमा]

समाचार संक्षेप में

13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस

- **यह जलवायु परिवर्तन और विभिन्न फसलों में बढ़ती बीमारियों के मद्देनजर परिवर्तनकारी समाधान खोजने के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और किसानों का तीन दिवसीय सम्मेलन है।**
- **सम्मेलन के आयोजक:** केंद्रीय कृषि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश कृषि मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा भारतीय बीज उद्योग महासंघ।
- **अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI):** यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो चावल पर अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि उन समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके जो जीविका के लिए चावल पर निर्भर हैं। **(1960 में स्थापित, मुख्यालय - मनीला, फिलीपींस)**
- बीज उद्योग ने निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत संकर बीजों के अनुसंधान एवं विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **"एक राष्ट्र, एक लाइसेंस" की मांग की है।**

स्रोत:

- द हिंदू - कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक मिलने चाहिए

कम्बम तालाब

- **यह आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित है।**
- **यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा भारत का पहला सबसे बड़ा तालाब है।**
- यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण **श्री कृष्ण देवराय की पत्नी विजयनगर राजकुमारी वरदराजम्मा (जिन्हें रुचिदेवी के नाम से भी जाना जाता है) ने करवाया था।**
- इसका निर्माण एक घाटी पर बांध बनाकर किया गया था, जिसके माध्यम से **गुंडलकम्मा और जम्पलेरु नदियाँ** बहती हैं।
- इसे **अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई संरक्षण एजेंसी की विश्व धरोहर सिंचाई संरचनाओं की सूची में शामिल किया गया है। सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) द्वारा 2020 में की गई थी।**

स्रोत:

- **द हिन्दू -कम्बम तालाब**

ब्रोमालाइट्स(Bromalites)

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि डायनासोर की नई वनस्पतियों और जलवायु के साथ अनुकूलन की क्षमता, लेट ट्राइऐसिक और जुरासिक काल के दौरान उनके प्रभुत्व में वृद्धि का एक प्रमुख कारक थी।
- शोधकर्ताओं ने जीवाश्म मल और उल्टी (ब्रोमालाइट्स) का विश्लेषण करके इस जानकारी को उजागर किया है।
- **ब्रोमालाइट्स:**
  - **वे किसी जीव के पाचन तंत्र के जीवाश्म अवशेष हैं और उन्हें ट्रेस जीवाश्म माना जाता है।**
  - वे उन्हें उत्पन्न करने वाले जीवों के आहार और अन्य पोषण कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तथा उनका उपयोग प्राचीन खाद्य जालों के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस- जीवाश्म डंक से डायनासोर के बारे में सीखना

संपादकीय सारांश

2025 की जनगणना और भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC)

संदर्भ

भारत में 2025 की जनगणना में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की पहल शामिल होगी, जो भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRIC) के बारे में -

- **भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) एक आधिकारिक सरकारी रजिस्ट्री है जो सभी भारतीय नागरिकों के नाम और विवरण दर्ज करती है, जो उन्हें देश में रहने वाले गैर-नागरिकों से अलग करती है।**

NPR से भिन्नता

- **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है।**
- **सामान्य निवासी के लिए मानदंड**: सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो:
  - एक स्थान पर **छह महीने या उससे अधिक समय तक रह** रहा है।
  - **कम से कम अगले छह महीने** तक उसी स्थान पर रहने की योजना है ।
- **उद्देश्य**: **NPR** का उद्देश्य **भारत में सभी निवासियों** का एक व्यापक पहचान **डेटाबेस बनाना है** ।
- **संग्रहण की विधि: जनगणना के मकान सूचीकरण चरण के** दौरान **घर-घर जाकर गणना करके** आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।
- **कालक्रम**:
  - **NPR** पहली बार **2010 में तैयार किया गया था**।
  - **2015** में अपडेट किया गया था।
- **कानूनी समर्थन**:
  - **NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत तैयार किया जाता है** ।
  - यह **नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 का अनुसरण करता है**।
- **अनिवार्य पंजीकरण: भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR** में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

टिप्पणी:

- **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)**: नागरिकता की परवाह किए बिना सभी निवासियों पर केंद्रित।
- **भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC)**: यह विशेष रूप से भारतीय नागरिकों का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करता है।

तथ्य

- **एकमात्र राज्य जहां NRC को अपडेट किया गया है, वह है असम (2019), ताकि अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान की जा सके।**

- **नागरिकता अधिनियम 1955** द्वारा अधिदेशित **NRIC** की संकल्पना **1951 की जनगणना के बाद की गई थी** और **सुब्रह्मण्यम समिति** की सिफारिशों के आधार पर **कारगिल युद्ध (1999) के बाद इसे बल मिला।**

- इसके परिणामस्वरूप **नागरिकता अधिनियम में धारा-14A को जोड़ा गया,** जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण।
    - नागरिकता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए पहचान पत्र जारी करना।

NRIC के उद्देश्य और लाभ

- **NRIC** का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सत्यापित रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।
- अतिरिक्त लाभों में शामिल हैं:
    - पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
    - पहचान धोखाधड़ी और दोहराव की घटनाओं को कम करना।
    - लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों को सक्षम बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ पात्र प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे।
- **NPR** इस प्रक्रिया में आधारभूत कदम के रूप में कार्य करता है, जो बहु-चरणीय डेटा संग्रहण रणनीति के माध्यम से नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच अंतर करता है, जिसमें जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार की जानकारी शामिल होती है।

NRIC विकसित करने की प्रक्रिया

- **बहु-चरणीय प्रक्रिया में शामिल हैं:**
    - **डेटा संग्रहण**: जनगणना के मकानसूचीकरण कार्यों के दौरान एकत्रित व्यापक जनसांख्यिकीय डेटा।
        - डुप्लिकेट को समाप्त करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया गया।
    - **पारदर्शिता तंत्र**: सार्वजनिक दावे और आपत्तियां आमंत्रित।
        - सत्यापन और अपील प्रक्रिया से सटीकता सुनिश्चित होगी और निवासियों को रिकॉर्ड को चुनौती देने की अनुमति मिलेगी।
    - **विस्तृत पूछताछ**: नागरिकता स्थिति की पूछताछ से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - **अंतिम चरण**: नागरिकता अधिनियम के अनुसार पहचान पत्र जारी करना।

आधार और NRIC के बीच अंतर

आधार के अस्तित्व में होने पर NRIC की आवश्यकता के बारे में एक सामान्य प्रश्न उठता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि:

- आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या (12 अंकों की) है, जो यूआईडीएआई द्वारा निवासियों को **नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना जारी की जाती है, मुख्य रूप से बैंकिंग और सब्सिडी जैसी** सेवाओं से जुड़ी पहचान के सत्यापन के लिए।
- दूसरी ओर, **NRIC** विशेष रूप से **नागरिकता की स्थिति के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके लिए नागरिकता का प्रमाण आवश्यक होता है**।

इस प्रकार, जबकि आधार सभी निवासियों के लिए है, **NRIC** केवल नागरिकों के लिए है, तथा भारत के शासन ढांचे में पूरक तथा विशिष्ट भूमिका निभाता है।

NRIC (भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के समक्ष चुनौतियां और चिंताएं

- **हाशिये पर पड़े समुदायों का बहिष्करण:** ग्रामीण निवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम शिक्षित व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है।
    - महिलाओं और प्रवासी आबादी को जन्म प्रमाण पत्र या भूमि स्वामित्व दस्तावेजों जैसे औपचारिक रिकॉर्ड की कमी के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

    - उदाहरण के लिए, लगभग 1.9 मिलियन लोगों को असम की NRC सूची से बाहर रखा गया, जिनमें से कई लोग दीर्घकालिक निवासी होने के बावजूद दस्तावेज़ी मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ थे।
- **मानवीय चिंताएं**: NRC से बड़े पैमाने पर बहिष्कार से महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विस्थापन हो सकता है।
- **प्रशासनिक एवं तार्किक चुनौतियाँ**: 1.4 बिलियन से अधिक लोगों की नागरिकता सत्यापित करने का पैमाना एक विशाल कार्य है।
- **प्रभावी संचार का अभाव:** NRC के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।
    - खराब संचार से त्रुटियां और कुप्रबंधन हो सकता है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जनता का विश्वास कम हो सकता है
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा**: संवेदनशील जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के दुरुपयोग या अनधिकृत साझाकरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
- **चुनावी प्रक्रिया से बहिष्करण:** जिन व्यक्तियों के नाम NRC में शामिल नहीं होंगे, वे मतदान का अपना संवैधानिक अधिकार खो देंगे।

आगे की राह

- सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएँ।
- सशक्त जन जागरूकता अभियान।
- पारदर्शी एवं निष्पक्ष सत्यापन तंत्र।
- गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा संरक्षण कानून।

स्रोत: द हिंदू: जनगणना 2025 एक व्यापक नागरिक रजिस्ट्री के रूप में

सशस्त्र विद्रोह से संसदीय राजनीति तक

संदर्भ

श्रीलंका की जनता विमुक्ति पेरामुना (JVP) के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर की हालिया चुनावी सफलता एक वैश्विक प्रवृत्ति को उजागर करती है, जहां वामपंथी क्रांतिकारी समूह, जो कभी सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक साधनों को अपना रहे हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और वैचारिक जड़ें

- वामपंथी विद्रोह **मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओवाद जैसी विचारधाराओं पर आधारित हैं**, जो पूंजीवादी राज्य को उत्पीड़न के साधन के रूप में देखते हैं।
- सशस्त्र संघर्ष पारंपरिक रूप से **नेपाल के माओवादियों**, **अल साल्वाडोर के एफएमएलएन** और **भारत के सीपीआई (माओवादी) जैसे क्रांतिकारी समूहों के लिए एक केंद्रीय रणनीति रही है**।

लंबे समय तक जारी विद्रोह की चुनौतियाँ

- **संसाधन गहनता**: उग्रवाद को निरंतर संसाधनों और लोकप्रिय समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **जन भावना**: लम्बे समय तक चलने वाली हिंसा से प्रायः नागरिक आबादी अलग-थलग पड़ जाती है, जिससे समर्थन कमजोर हो जाता है।
- **राज्य प्रतिविद्रोह**: कई विद्रोहों को राज्य के शक्तिशाली प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, जिससे सशस्त्र प्रतिरोध अस्थिर हो जाता है।

परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण

- **नेपाल का माओवादी विद्रोह (1996-2006)**
  - राजशाही को खत्म करने और जनवादी गणराज्य की स्थापना के लिए गृहयुद्ध शुरू किया गया।
  - **2006 में व्यापक शांति समझौते** पर हस्ताक्षर किये गये, जिससे मुख्यधारा की राजनीति में एकीकरण की अनुमति मिली।
  - **2008 में** नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **अल साल्वाडोर का एफएमएलएन (1980-1992)**
  - मार्क्सवादी-लेनिनवादी गुरिल्ला समूहों के गठबंधन ने अमेरिका समर्थित सरकार से लड़ाई लड़ी।
  - **1992 के शांति समझौते** के बाद एक राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित हो गए।
  - राष्ट्रीय चुनाव जीते, क्रांतिकारी मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर रुख किया।
- **भारत के माओवादी गुट**
  - **सीपीआई (माओवादी)** माओ के "दीर्घकालिक जनयुद्ध" का पालन करते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष जारी रखे हुए है।
  - **सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने** 1980 के दशक में हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, चुनाव लड़ा और एक वैध राजनीतिक इकाई बन गयी।
- **श्रीलंका की जे.वी.पी.**
  - **1971 और 1980 के दशक** में दो हिंसक विद्रोहों का नेतृत्व किया, दोनों को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया।
  - 1990 के दशक में संसदीय राजनीति में स्थानांतरित होकर **आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की**।

परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक

- **सामरिक यथार्थवाद**: उग्रवादियों को संसाधनों और सार्वजनिक समर्थन में कमी का सामना करना पड़ता है।

  - **नेपाल** और **अल साल्वाडोर** में शांति समझौतों ने हिंसा के बिना राजनीतिक प्रभाव की अनुमति दी।
- **जन भावना**: नागरिक हताहतों और लम्बे समय तक कठिनाई के कारण सशस्त्र प्रतिरोध के प्रति समर्थन कम हो रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दबाव**: उग्रवाद की वैश्विक निंदा और **संयुक्त राष्ट्र** (जैसे, अल साल्वाडोर में) जैसे अभिनेताओं द्वारा मध्यस्थता शांतिपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- **वैचारिक विकास:** विद्रोही समूह लोकतांत्रिक ढांचे में फिट होने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांतों को अपनाते हैं, तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मूल मूल्यों को बनाए रखते हैं।

प्रतिक्रियाएँ और निहितार्थ

- **लोकतंत्र में वैधता**: राजनीतिक भागीदारी की ओर संक्रमण से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ता है।
  - पूर्व विद्रोही समूह उन अन्यायों का समाधान कर सकते हैं जिनके कारण उनके संघर्ष प्रेरित हुए।
- **शासन में चुनौतियाँ**: समूहों को क्रांतिकारी आदर्शों को शासन की व्यावहारिक मांगों के साथ संतुलित करना होगा।
  - उन्हें लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर **जनता के संदेह का सामना करना पड़ता है।**
- **विकासशील विचारधाराएँ**: संसदीय भागीदारी को आधुनिक वास्तविकताओं के अनुकूलन के रूप में देखा जाता है, जो राज्य में भीतर से सुधार लाती है।
- **समावेशी शासन**: **नेपाल के माओवादियों जैसे उदाहरण** दिखाते हैं कि कैसे ये समूह हाशिए पर पड़े समुदायों को प्राथमिकता देते हैं तथा समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

स्रोत: द हिंदू: सशस्त्र विद्रोह से संसदीय राजनीति तक

क्या चुनाव से पहले नई योजनाएं 'मतदाता रिश्वत' के समान हैं?

संदर्भ

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले योजनाएं शुरू करने की हालिया प्रवृत्ति की आलोचना की गई।

पृष्ठभूमि

- महाराष्ट्र के नवंबर 2024 के राज्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की भारी जीत ने **मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की ओर ध्यान आकर्षित किया है**, जो एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- आलोचकों का तर्क है कि ऐसी योजनाएं मतदाता व्यवहार को अनुचित तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, जबकि विशेषज्ञ कल्याणकारी नीतियों पर डीबीटी योजनाओं के व्यापक प्रभाव पर बहस करते हैं।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना और समान डीबीटी योजनाओं के फायदे और नुकसान

पक्ष

- **हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कल्याणकारी लाभ: 21-65 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
    - **उदाहरण**: ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर महिलाएं इन योजनाओं का आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वागत करती हैं।
- **संकट के समय में आर्थिक राहत: मातृत्व लाभ** जैसे उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करता है , जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मातृभूमि धन योजना में देखा गया है, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये प्रदान करता है।
- **कल्याण संरचना में अंतराल को पाटना: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों** के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कमी को संबोधित करता है , जैसे कि असंगठित महिला कार्यबल जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मातृत्व लाभ से बाहर रखा गया था (केवल 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद मान्यता दी गई)।
- **हाशिए पर पड़े मुद्दों की राजनीतिक दृश्यता:** चुनावों के दौरान वंचितों की जरूरतों पर प्रकाश डाला जाता है, जो अन्यथा नीति निर्माताओं द्वारा नजरअंदाज रह सकते हैं।
- **सामग्री हस्तांतरण की तुलना में कार्यान्वयन में आसान:** डीबीटी सामग्री आधारित योजनाओं की कुछ अकुशलताओं को समाप्त करता है (जैसे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज)।

विपक्ष

- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव:** मजबूत, दीर्घकालिक कल्याण प्रणालियां स्थापित करने के बजाय **अल्पकालिक चुनावी लाभ** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।
    - यदि चुनाव के करीब इसकी घोषणा की जाए तो इसे **चुनावी रिश्वत** माना जा सकता है ।
- **राजकोषीय समझौता:** अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों से धन का विचलन।
    - **उदाहरण**: कर्नाटक का नकद हस्तांतरण बजट (2024-25 में ₹28,000 करोड़) मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र के आवंटन से दोगुना है।
- **रोजगार आधारित कार्यक्रमों की तुलना में निम्न: मनरेगा** जैसे रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं अधिक कमाती हैं (100 दिनों के काम के लिए 29,000 रुपये प्रति वर्ष), जबकि इस योजना के तहत उन्हें सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं।
- **कमजोर कार्यान्वयन और निगरानी: स्वतंत्र मूल्यांकन और निगरानी** के लिए प्रणालियों का अभाव है, जैसा कि पहले योजना आयोग के मूल्यांकन विंग जैसे मजबूत तंत्रों में देखा गया था।

  - **भ्रष्टाचार का खतरा**: बिचौलिए (जैसे, बैंकिंग संवाददाता) पुरानी योजनाओं में देखी गई गड़बड़ियों को दोहराते हैं।
- **लिंग मानदंडों का सुदृढ़ीकरण:** महिलाओं को **अवैतनिक घरेलू कार्य के लिए भुगतान करने से** लिंग समानता को बढ़ावा मिलने के बजाय पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है।
  - **उदाहरण**: रोजगार के अवसर नकद मुआवजे की तुलना में अधिक सशक्त बनाते हैं।
- **पोषण और शैक्षिक समझौता: मध्याह्न भोजन या आंगनवाड़ी में अंडे** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है ।
  - **उदाहरण**: उत्तर भारतीय राज्य बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसे नकद हस्तांतरण से सीधे तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता।

संतुलित परिप्रेक्ष्य

जबकि डीबीटी तत्काल वित्तीय कमज़ोरियों को संबोधित करते हैं, लेकिन कल्याण तंत्र के रूप में उनकी उपयोगिता राजकोषीय व्यापार-नापसंद, कमज़ोर निगरानी और प्रणालीगत सुधारों की कमी के कारण कम हो जाती है। मनरेगा जैसे दीर्घकालिक कल्याण कार्यक्रम या स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश से व्यापक और अधिक टिकाऊ लाभ मिल सकते हैं।

स्रोत: **द हिन्दू: क्या चुनाव से पहले नई योजनाएं 'मतदाता रिश्वत' के समान हैं?**

वैल्यू एडिशन(Value Addition)

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति

संदर्भ

हाल ही में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 (ATC) के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि गृह मंत्रालय एक व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का मसौदा तैयार कर रहा है।

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति और रणनीति के बारे में -

- नीति में आतंकवाद के विरुद्ध एकीकृत और प्रभावी संरचना सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक आदर्श **आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ढांचा शामिल है।**
- इसका उद्देश्य आतंकवाद-रोधी इकाइयों के भीतर संचार, पदानुक्रम और परिचालन प्रभावशीलता को सुव्यवस्थित करना है।
- **समान आतंकवाद विरोधी इकाइयाँ:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) निम्नलिखित घटकों के साथ विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयाँ स्थापित करेंगे:
    - जेल निगरानी, भाषा विशेषज्ञता, कट्टरपंथ से मुक्ति, वित्तीय खुफिया जानकारी।
    - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा अनुशंसित उन्नत हथियारों तक पहुंच।
    - एनएसजी द्वारा डिजाइन किये गये मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- **प्रस्तावित आतंकवाद विरोधी संरचना का आदर्श प्रारूप:**
    - प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक महानिरीक्षक (आईजी) या वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
    - दो उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और कम से कम चार पुलिस अधीक्षकों (एसपी) द्वारा समर्थित।
- **समन्वय और एसओपी में वृद्धि:** केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया प्रसंस्करण और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की जाएंगी।

वर्तमान अंतराल और स्थिति

- केवल 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में समर्पित एटीएस/एसटीएफ या आतंकवाद-रोधी इकाइयां हैं।
- 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन इकाइयों को पुलिस स्टेशन भी नामित किया गया है।
- **केवल छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में:**
    - आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
    - आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए समर्पित अदालतें।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - आतंकवाद निरोधक नीति: गृह मंत्रालय सभी राज्यों में विशेष इकाइयों के लिए